न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—191 / 2013 / 223 (2013 / 000012)

1. प्रेमकुमार पुत्र भोलाशंकर, जाति यादव, निवासी सूतरखाना मौहल्ला, नसीराबाद, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. विरेन्द्रसिंह पुत्र भोलाशंकर, जाति यादव, निवासी सूतरखाना मौहल्ला, नसीराबाद, जिला अजमेर हाल निवासी भगवान स्वरूप यादव मास्टर साहब का मकान, यादव मौहल्ला, श्रीनगर, उप—तहसील श्रीनगर, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

3. उमेश कुमार पुत्र भोलाशंकर, जाति यादव, निवासी सूतरखाना मौहल्ला, नसीराबाद, जिला अजमेर ।
4. कोशल कुमार पुत्र भोलाशंकर, जाति यादव, निवासी सूतरखाना मौहल्ला, नसीराबाद, जिला अजमेर ।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय एवं अंतिम डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद दिनांक 7.2.2013 अंतर्गत वाद संख्या 83 / 2012.

उपस्थितः—

1. श्री नौरतमल जैन, वकील अपीलांट ।
2. श्री सुमित जैन, वकील रेस्पो0 संख्या 1 .
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 2.
4. प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 3 अनुपस्थित ।
5. प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 4 स्वंय उपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः—25.03.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 7.2.2013 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1/वादी ने अधी0न्याया0 में वादपत्र अंतर्गत धारा 53, 88 एवं 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश ग्राम बारह पत्थर, तहसील नसीराबाद स्थिति भूमि हाल खसरा नंबर 1105, 1106, 1107 व 1108 बाबत् प्रस्तुत किया । अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन निर्णय व प्रारंभिक डिक्री दिनांक 4.10.2012 को पारित की तत्पश्चात् अधी0न्याया0 ने दिनांक 7.2.2013 को अंतिम डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व अंतिम डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय में प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 4.10.12 वाद संख्या 83/2012 अपीलांट को बिना नोटिस तामील कराये, बिना साक्ष्य व सबूत लिये एवं बिना दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित कराये पारित की गई थी तथा इस निर्णय व प्राथमिक डिक्री के आधार पर पारित निर्णय व डिक्री भी अपीलांट एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 को अंतिम निर्णय व डिक्री के नोटिस तामील कराये बिना तथा बिना पक्षकारान की मौजूदगी में कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त किये एवं बिना सुनवाई का एवं आपत्तियां पेश करने का अवसर दिये अंतिम डिक्री पारित की है जो विधिविरूद्ध निरस्त की जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा अंतिम निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलांट को नोटिस जारी नहीं किये जिससे अंतिम निर्णय व डिक्री की जानकारी नही हो सकी । सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 7.6.2013 को होने पर अपीलांट ने निर्णय की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाकिव है । अतः अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. जवाब में विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व अंतिम डिक्री विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । अतः न्यायहित में अपील में हुंआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 4.10.2012 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील संख्या 246/2013/223 (2013/00013) बउनवान प्रेमकुमार बनाम विरेन्द्रसिंह व अन्य प्रस्तुत की गई थी जो न्यायालय हाजा के निर्णय व डिक्री दिनांक 25.3.2019 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व प्रारंभिक डिक्री दिनांक 4.10.2012 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया गया है । चूंकि अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 7.2.2013 प्रारंभिक डिक्री दिनांक 4.10. 2012 के आधार पर पारित की गई जब प्रारंभिक डिक्री दिनांक 4.10. 2012 निरस्त हो चुकी है तो इसके आधार पर पारित अंतिम डिक्री दिनांक 7.2.2013 भी स्वतः ही सारहीन हो जाती है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 7.2.2013 खारिज योग्य पायी जाती है ।

9. अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 7.2.2013 खारिज की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 25.3.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर